निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.23( )स्था/निकाशि/RVRES/दिशा–निर्देश/2012/565 दिनांक - 5/9/13

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत राज्य सेवा में लिए गए अनेक शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों द्वारा जानकारी के अभाव में नियमानुसार पदस्थापन के एक माह में मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन नही किया था। अब राज्य सरकार द्वारा उक्त नियम में शिथिलता प्रदान करतें हुए ऐसे समस्त कार्मिकों को राज्य सेवा में उपस्थिति की दिनांक से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है, चाहे उन्होनें राज्य सेवा में कार्यग्रहण पश्चात् किसी भी दिनांक को मकान किराया भत्ता देने हेतु आवेदन किया है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101303591 दिनांक 12.08.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।

अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर